

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)::

दिनांक-..... 10-2-26

सं०-17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-12/2025

2902/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,

पटना की अधिसूचना सं०-812 दिनांक 12.01.2026 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) का वैचारिक लाभ प्रदान किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-17 पर अंकित सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम श्री राम बिराजन के स्थान पर श्री राम बिराजन सिंह पढ़ा जाय।

3. सन्दर्भित अधिसूचना की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-12/2025 2902 / सा०प्र०,पटना-15,दिनांक-10/02/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग/सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री राम बिराजन सिंह, सेवानिवृत्त सहायक/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।